an>

Title: The Speaker addressed the House under Rule 360 on Commitment to India's Constitution as part of 125th Birth Anniversary celebration of Dr. B.R. Ambedkar.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जन्मशती वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर इस सदन की विशेष बैठक में आप सबका स्वागत करना मेरे लिए गौरव की बात है। 26 नवम्बर 1949 को 66 साल पहले इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर एवं उस सभा के सभी गणमान्य सदस्यों के सम्मान में मनाया जाने वाला यह दिन उन सभी की विद्वता, दूरदृष्टि एवं लोकतांत्रिक सोच के प्रति राष्ट्र की आदरांजलि है जिन्होंने अपनी बुद्धिमता और राजनीतिक कौशल से हमारे देश में सुदृढ़ लोकतंत्र की नींव रखी थी। यह सर्वथा उपयुक्त है कि हम सोलहवीं लोक सभा के छठे सत्र के दौरान सभा की दो दिवसीय विशेष बैठक में "भारत के संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता" पर चर्चा करें।

हमारा संविधान भारत का राष्ट्र दर्शन ग्रन्थ है जो कि हमारी राष्ट्रीय अवचेतना में स्थापित मूल्यों, आदर्शों और सोच का प्रतिबिम्ब है। यह भारतीय समाज में सदियों से स्थापित विचारधारा का सुस्पष्ट प्रकटीकरण भी है। इस संविधान से विभिन्न संस्थाओं एवं नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्त होते हैं तथा यह संवैधानिक आदर्शों और मूल्यों एवं नागरिकों के अधिकारों का मुख्य संरक्षक भी है। आइए, आज हम हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं के सम्मान में अपना शीश नवाएं।

स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री डॉ. अम्बेडकर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे जिसमें श्री के. एम. मुंशी, श्री अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, श्री एन. गोपालस्वामी अयंगर, श्री माधवराव, मोहम्मद सदुल्लाह, श्री बी.एल.मित्तर, श्री डी.पी.खेतान और श्री टी.टी. कृष्णामचारी जैसे दिग्गज शामिल थे। मैं यहां श्री बी.एन.राव का भी विशेष उल्लेख करना चाहूंगी जिन्होंने संविधान के उस मसौदा को प्रस्तुत किया था जिस पर संविधान सभा की मसौदा समिति ने डॉ. अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में कार्य किया था। इस संविधान की संरचना में मसौदा समिति के अतिरिक्त संविधान सभा के सदस्यों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। असाधारण दूरदर्शिता और विद्वता का उपयोग करते हुए उन्होंने मसौदा संविधान के विभिन्न उपबंधों के पीछे के दर्शन और विवेक को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया।

संविधान की उद्देशिका में संक्षेप में दिए गए आदर्श और सिद्धांत हमारे संविधान की मूलभूत प्रकृति को निर्धारित करते हैं। संविधान की उद्देशिका 'हम भारत के लोग' शब्दों से आरम्भ होती है, जो जनता-जनार्दन को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में रखती है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि हमने भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यह संविधान स्वयं को आत्मार्पित किया और यह प्रत्येक नागरिक को अपने राज्य के साथ न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा आपसी संबंधों में भाईचारा बनाये रखने का सिद्धांत प्रतिपादित करता है।

विगत 65 वर्षों में हमारा संविधान समय की कसौटी पर हर तरह से खरा उतरा है। संविधान द्वारा स्थापित आदर्श एवं मूल्य हमारे जीवंत लोकतंत्र की प्राण-वायु हैं। हमारे संविधान ने कानून का राज्य स्थापित किया और सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिशा का निर्धारण किया। संविधान में निहित अवधारणाओं से सामाजिक लोकतंत्र का ताना-बाना मजबूत हुआ जिसने राजनैतिक लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान किया और सुदृढ़ बनाया। मेरा मानना है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं अनेकता में एकता के मूलभूत ढांचे को हम अपने संस्थापकों द्वारा निर्धारित अभीष्ट मूल्यों पर चल कर ही शक्ति प्रदान कर सकते हैं।

संविधान विशेषज्ञों ने संविधान की विभिन्न विशेषताओं को इसका आधार बताया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन की संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, नीति-निदेशक तत्व, पंथनिरपेक्षता, संघवाद, अपने भाग्य के निर्माताओं के रूप में जनता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, कानून के समक्ष समानता, कानून का शासन और कल्याण की मूलभावना वाला उदार लोकतंत्र शामिल है। मूल संरचना सिद्धांत कई वर्षों में विकसित हुआ है और इसमें कई विशेषताओं को धीरे-धीरे शामिल किया गया है, जिसके साथ राज्य के किसी भी अंग द्वारा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उस अर्थ में हमारा संविधान बदलते हुए समय के अनुरूप ढलने योग्य है और विशेष रूप से अपनी मूल प्रकृति में अपरिवर्तनशील है।

हमारे संविधान को स्वीकार करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने नए गणराज्य के लिए शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र को चुना था क्योंकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के दायित्वों का मूल्यांकन दैनिक और नियतकालिक दोनों आधारों पर होता है। दैनिक मूल्यांकन संसद सदस्यों द्वारा प्रश्नों, संकल्पों, अविश्वास प्रस्तावों, स्थगन प्रस्तावों और अभिभाषणों पर वाद-विवाद के माध्यम से किया जाता है। नियतकालिक मूल्यांकन मतदाताओं द्वारा चुनाव के समय किया जाता है। मसौदा संविधान ने कार्यपालिका की संसदीय प्रणाली की सिफारिश करते समय अधिक स्थायित्व के स्थान पर अधिक दायित्व को प्रमुखता दी है।

भारत पूरे विश्व में सबसे बड़े एवं जीवंत लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है क्योंकि हमारी संसदीय प्रणाली के केंद्र में जनता-जनार्दन है जिसने 16 आम चुनावों में अपने विवेक और बुद्धिमता से मताधिकार का प्रयोग कर सत्ता के सुचारू हस्तांतरण का मार्ग सुनिश्चित किया है और 8 बार सरकार बदली है। निस्संदेह, यह लोकतांत्रिक संविधान के सफलतापूर्ण कार्यान्वयन तथा लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था और जीवनशैली के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। यहां मैं भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष एवं प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के उद्गार का उल्लेख करना चाहूंगी जिन्होंने जनता की लोकतांत्रिक परिपक्वता में विश्वास जताया था।

I quote:

> "Some people have doubted the wisdom of adult franchise. Personally, although I look upon it as an experiment the result of which no one will be able to forecast today, in my opinion, our people possess intelligence and common-sense. They also have a culture which the sophisticated people of today may not appreciate, but which is solid. They are not literate and do not possess the mechanical skill of reading and writing. But, I have no doubt in my mind that they are able to take measure of their own interest and also of the interest of the country at large if things are explained to them."

हमारे संविधान में मूल अधिकारों की ओर ध्यान देते हुए सभी नागरिकों को समान अधिकारों एवं अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था और धर्म का पालन करने और पूजा-पाठ करने की आजादी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी और जहाँ कहीं भी किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान में इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे देश के सबसे बड़े न्यायालय में जाने की व्यवस्था है।

हमारे यहाँ उदार राज्य व्यवस्था है और हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में 'स्वतंत्रता, समानता और न्याय' को प्रमुखता दी गई है। व्यक्तिगत अधिकार और आजादी जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण सामूहिक हित भी है।

भारत ने अपनी अनेकता और विविधता को अपने संस्थागत लोकतंत्र के साथ बहुत सफलतापूर्वक समायोजित कर लिया है। नीति तैयार करने की प्रक्रिया में सिविल सोसाइटी और नागरिकों के नेटवर्क का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। विशेषकर मीडिया और बौद्धिक संवाद के माध्यम से आलोचना और असहमति की अभिव्यक्ति हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। इस संबंध में संविधान सभा की बहस में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का यह वक्तव्य आज भी उतना ही सटीक एवं प्रासंगिक है।

> "We have prepared a democratic Constitution. But successful working of democratic institutions requires in those who have to work them, willingness to respect the view points of others, capacity for compromise and accommodation. Many things which cannot be written in a Constitution are done by conventions. Let me hope that we shall show those capacities and develop those conventions."

हमारे संविधान के राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का उद्देश्य न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना और इसकी रक्षा करना है। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास हमारे विकास

कार्यक्रमों का प्रमुख अंग है। सामाजिक समरसता की अनोखी दृष्टि और उसको प्राप्त करने के लिए विशेष प्रावधान हमारे संविधान में हैं।

हमारे संसदीय लोकतंत्र में बिना जाति, पंथ, धर्म और भाषा का विचार किये सभी समुदायों का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और प्रगति सुनिश्चित की जाती है। हमारे देश में विश्व के लगभग सभी प्रमुख सम्प्रदाय एवं विचारधारा के अनुयायी रहते हैं। एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना और सर्व-धर्म समभाव को बढ़ावा देना यही हमारी सामाजिक संस्कृति है।

इतने वर्षों में समाज के सभी स्तरों और विभिन्न वर्गों के लोकतांत्रीकरण से हमारा लोकतांत्रिक अनुभव समृद्ध हुआ है। बढ़ी हुई राजनीतिक सक्रियता से अब तक उपेक्षित रहे वर्गों के हितों और आकांक्षाओं को प्रमुखता मिली है। क्षेत्रीय और राज्य आधारित दलों की उपस्थिति से हमारी राज्य व्यवस्था की संघीय विशेषता और बढ़ी है और अनेकता में एकता कायम रखने में मदद मिली है। गठबंधन सरकारों के सफलतापूर्वक कार्यकाल सम्पन्न करने से हमारी राजनीतिक परिपक्वता का पता चलता है। एक बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों की उपस्थिति और लोक सभा में निर्दलीय नेताओं के सहित 35 दलों का प्रतिनिधित्व हमारे राजनीतिक बहुलवाद और लोकतंत्र की मजबूती का परिचायक है।

हमारे संविधान में हमारे लोकतंत्र के मूलभूत आधार के रूप में सशक्त संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तीन अंग- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं और संविधान के अंतर्गत इन्हें शक्तियां प्रदान की गई हैं। सुशासन सुनिश्चित करने के लिए संविधान में राज्य के तीनों अंगों को सत्ता के प्रतिस्पर्धी केन्द्र नहीं बल्कि समन्वित रूप से सहयोगी के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों का सामंजस्य हमारे संविधान की अनूठी विशेषता है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सभी अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपने दायित्वों का सम्यक् निर्वहन करते हैं और एक-दूसरे की सीमाओं का यथोचित सम्मान करते हैं और भविष्य में भी करें, यही अपेक्षा है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे संविधान में बदलाव की गुंजाइश के कारण ही हमारी संसद संविधान में विभिन्न संशोधनों का प्रस्ताव रख पायी है और दूरगामी महत्त्व के संशोधन कर पायी है। इससे समाज के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्यवाही के लिए उपाय, गरीबों और उपेक्षित वर्गों के लिए समान न्याय और नःशुल्क कानूनी सहायता का सपना साकार हुआ है और बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में मिला है।

आज हमारे यहां एक स्वतंत्र और सक्रिय न्यायपालिका, राजनीतिक दलों की सशक्त प्रणाली, एक जीवंत और सतर्क मीडिया और सजग सिविल सोसाइटी है। हमारे लोकतंत्र में एक प्रभावी निर्वाचन आयोग, स्वायत्त संघ लोक सेवा आयोग, लोक-लेखाओं की निगरानी करने वाला नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसी अनेक संस्थाएं हैं। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के संस्थागत प्रभाव के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है।

आज भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की संस्थाओं की एक मॉडल राजनीतिक प्रणाली के रूप में पूरे विश्व और विशेष रूप से विकासशील देशों में हमारी प्रशंसा की जाती है। कोई भी देश जिन मूल्यों को प्रतिपादित करता है, उसकी पहचान उसके संविधान से होती है और यह गर्व की बात है कि जब हम विदेश में जाते हैं तो भारत के जीवंत लोकतंत्र, उत्कृष्ट संविधान एवं संवैधानिक व्यवस्था के कारण हर जगह हमें प्रशंसायुक्त सम्मान प्राप्त होता है। हम सबसे पहले और आखिर में भी भारतीय हैं, इस भारतीयता की अवधारणा को हमारा संविधान संपुष्ट करता है। किसी प्रकार का कोई भेद हमारे संविधान में नहीं है, यह उसकी खूबसूरती है।

मुझे डॉ. अम्बेडकर द्वारा संविधान के विषय में कही हुई बातें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था:

> " I feel that it is workable, it is flexible and it is strong enough to hold the country together both in peace time and in war time. Indeed, if I may say so, if things go wrong under the new Constitution, the reason will not be that we had a bad Constitution. What we will have to say is that man was vile."

कोई निरंकुश न हो पाए, इसके लिए भी हमारे संविधान में उपयुक्त प्रावधान हैं। इतिहास बताता है कि ऐसे प्रयासों को जनता ने सदैव अस्वीकार कर दिया है।

इन सब उपलब्धियों के बावजूद हमारे लिए संतुष्ट होकर बैठने का समय नहीं है। हमारे सामने विकास संबंधी अनेक चुनौतियां हैं। आज हमें शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषाहार, बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों के कल्याण और महिलाओं की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। मैं मानती हूं कि हमारे विधायी निकायों में महिलाओं का बहुत कम प्रतिनिधित्व सबके लिए चिंता का विषय है और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता भी है। हमारे देश का संविधान हमारी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उन्नति के लिए एक ऐसा साधन है, जिसका विवेकपूर्ण उपयोग यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे देश की प्रगति, गति, दशा और दिशा क्या होगी और सन्दर्भ में मुझे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी का एक कथन याद आ रहा है।

> "Whatever the Constitution may or may not provide, the welfare of the country will depend upon the way in which the country is administered. That will depend upon the men who administer it. If the people who are elected are capable and men of character and integrity, they would be able to make the best even of a defective Constitution. If they are lacking in these, the Constitution cannot help the country."
>
> He further says.
>
> "We have communal differences, caste differences, language differences, provincial differences and so forth. It requires men of strong character, men of vision, men who will not sacrifice the interests of the country at large for the sake of smaller groups and areas and who will rise over the prejudices which are born of these differences. We can only hope that the country will throw up such men in abundance."

उन्होंने उस समय यह आशा जताई थी।

> "I have no doubt that when the country needs men of character, they will be coming up and the masses will throw them up. In India today, I feel that the work that confronts us is even more difficult than the work which we had when we were engaged in the struggle. We did not have then any conflicting claims to reconcile, no loaves and fishes to distribute, no powers to share. We have all these now, and the temptations are really great. Would to God that we shall have the wisdom and the strength to rise above them, and to serve the country which we have succeeded in liberating."

संविधान बनाने वाले, उस पर काम करने वाले और उसे राष्ट्र हित में आगे बढ़ाने वाले महान व्यक्तियों की बातों पर यदि हम गौर करें तो उन सभी ने राष्ट्र हित में, सशक्त राष्ट्र के निर्माण के पथ पर निरंतर कर्मशील रहने का आह्वान किया है। यहां मैं रॉबर्ट फ्रास्ट की कविता की कुछ पंक्तियां जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्म प्रेरणा थी और ऐसा कहा जाता है कि वह उनके सिरहाने किसी कविता की तरह लिखी रहती थी-

> "The woods are lovely, dark and deep,
>
> But I have promises to keep,
>
> And miles to go before I sleep,
>
> And miles to go before I sleep."

नेहरू जी का मानना था कि सशक्त राष्ट्र के निर्माण और देश की प्रगति के पथ पर हमें लम्बा सफर तय करना है और बिना विश्राम के कठोर परिश्रम करना है। इसी प्रकार बाबा साहेब आम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक समरसता के आधार पर ही सशक्त एवं स्थायी लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने शुद्ध चरित्र और निष्ठा के मार्ग पर चलकर राष्ट्र-निर्माण की परिकल्पना की थी। आज की वैश्विक परिस्थिति में राष्ट्रीयता की भावना दिल में लिए सशक्त भारत के निर्माण के लिए कदम से कदम मिलाकर चलते हुए हम सब संकल्प कर आगे बढ़ें। यहां पर सबको साथ लेकर चलने की भावना को प्रतिध्वनित करती हुई माननीय अटल जी की ये पंक्तियां अत्यन्त प्रासंगिक हैं:-

"बाधाएं आती हैं आएं, घिरें प्रलय की घोर घटाएं,

पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं,

निज हाथों में हंसते-हंसते, आग लगाकर जलना होगा,

क़दम मिलाकर चलना होगा, क़दम मिलाकर चलना होगा।"

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगी कि लोकतांत्रिक शासन में सर्वसम्मति का बहुत महत्व होता है। इसके लिए जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक-दूसरे के साथ बातचीत करने और जनता-जनार्दन की समस्याओं का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। संसद भवन में उल्लेखित कई ऋचाओं में से एक ऋचा जो सर्वसम्मति के बारे में है, उसको ध्यान में रखना होगा:-

समानो मंत्रः समितः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् ।

समानं मंत्रमभि मंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ।।

हमारा संकल्प एक हो,

हम निर्णय सर्वसम्मति से लें,

हमारी आशाओं-आकांक्षाओं में समानता हो,

हमारी चेतना सद्भाव से भरी हो,

हमारी प्रार्थना सबके कल्याण के लिए हो,

और हमारी आहुति भी सबके कल्याण के लिए हो।

धन्यवाद।